


जिला पंचायत बुलन्दशहर
जन सूचना के 16 बिन्दुओं पर सूचना

- 1- संगठन विभाग, दायित्व एवं कर्तव्य:-
संगठन (विभाग) — जिला पंचायत बुलन्दशहर
दायित्व एवं कर्तव्य — ग्रामीण क्षेत्रों का सुदृढीकरण
- 2- अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य:-
जिला पंचायत बुलन्दशहर के कार्यों का निवर्हन व सम्पादन हेतु अध्यक्ष जिला पंचायत के नियंत्रण में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा कार्यालय सहायको के द्वारा किया जाता है ।
- 3- निर्णय लेने की विधि जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित हो :-
किसी भी कार्य को सम्पादित करने के निर्णय का अन्तिम अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत बुलन्दशहर में है । कार्य के सम्पादन हेतु परीक्षण व जिम्मेदारी का प्रारम्भ कार्यालय सहायक से अध्यक्ष जिला पंचायत तक होता है जो उपरोक्त के आधार पर अन्तिम निर्णय लेते हैं ।
- 4- क्रियाकलापों के पूर्ण करने के नियम/आधार:-
पंचायती राज विभाग उ०प्र० सरकार के समय समय पर जारी आदेशों/निर्देशों तथा मार्गदर्शन के अनुसार क्रिया कलापों को सम्पादित किया जाता है ।
- 5- रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्ट्रक्शंस, मनुअल्स एवं रिकार्ड:-
विभाग से संबंधित सभी प्रकार के शासनादेश व निर्देश व मार्गदर्शन पंचायती राज द्वारा जारी किये जाते हैं और उनका रख रखाव कार्यालय स्तर पर उपलब्ध होता है ।
- 6- नियंत्रणाधीन अभिलेखों की श्रेणी :-
शासन द्वारा सभी जारी आदेशों/अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है ।
- 7- परामर्श की व्यवस्था :-
जिला पंचायत बुलन्दशहर में आगन्तुकों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ।
- 8- बोर्ड काउन्सिल कमेटी :-
जिला पंचायत बुलन्दशहर स्तर पर बोर्ड काउन्सिल कमेटी है ।
- 9- अधिकारी व कर्मचारियों की सूची:-

अपर मुख्य अधिकारी	01
कार्य अधिकारी	01
अभियन्ता	01
अवर अभियन्ता	04
चिकित्साधिकारी	02
लेखाकार	01
अनुभागीय मुख्य लिपिक	02
स्टेनो	01
लिपिक	06
राजस्व निरीक्षक	09
चालक	02
कम्पाउण्डर	01
चतुर्थ श्रेणी	13
- 10- अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धियां:-
जिला पंचायत बुलन्दशहर में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को लाभ की परिलब्धियां उपलब्ध कराई जाती हैं ।

- 11—जिला पंचायत बुलन्दशहर को आवंटित बजट :-
जिला पंचायत बुलन्दशहर द्वारा अपने संशाधनों निजी श्रोतों से अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन आदि भुगतान करती है । इसके अतिरिक्त निम्न प्रकार सडकों आदि के लिए शासन से बजट प्राप्त होता है ।
- | | | |
|---------------------|---|------------|
| 1— राज्य वित्त आयोग | — | 413.00 लाख |
| 2— 12वां वित्त आयोग | — | 194.42 लाख |
- 12—उपादान एवं छूट को उपलब्ध कराये जाने की विधि :-
कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।
- 13— तदैव
- 14—इलेक्ट्रानिक रूप में की गयी,इसे उपलब्ध या इसके द्वारा धारित सूचना के संबंध में विवरण :- शून्य
- 15—सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें लाईब्रेरी या अध्ययन कक्ष के कार्य शामिल हैं,यदि जनता के उपयोग के लिए रखा गया हो :- शून्य
- 16—लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम और अन्य वर्णन :-
अपीलीय अधिकारी का नाम - श्री विद्या सागर प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी
जन सूचना अधिकारी का नाम- श्री वी०के०मिश्र, अपर मुख्य अधिकारी,
सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम- श्री अरुण कुमार गौतम,कार्य अधिकारी
- 17—अन्य सूचना :- शून्य ।


अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत बुलन्दशहर